रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052023-246047 CG-DL-E-24052023-246047

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2182] No. 2182] नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2023/ज्येष्ठ 3, 1945

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2023/JYAISHTHA 3, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व-विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2023

(आयकर)

का.आ. 2276(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (10 कक) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृति के समय चाहे अधिवार्षिता अथवा अन्यथा कारणों से है, उनके खाते में अर्जित अवकाश की अविध के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद राशि के रूप में कर्मचारियों द्वारा प्राप्य अधिकतम राशि पर ध्यान देते हुए ₹ 25,00,000/- (पच्चीस लाख रूपए मात्र) की राशि को उक्त खंड में उल्लिखित कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति, अधिवार्षिता अथवा अन्यथा कारणों से है, के संबंध में सीमा के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 31/2023 फा. सं. 200/3/2023-आईटीए-I]

सौरभ जैन, अवर सचिव

च्याख्यात्मक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 1

₹ taxsutra

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2023

(INCOME-TAX)

- S.O. 2276(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (10AA) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, having regard to the maximum amount receivable by its employees as cash equivalent of leave salary in respect of the period of earned leave at their credit at the time of their retirement, whether superannuation or otherwise, hereby specifies the amount of Rs. 25,00,000 (twenty-five lakhs rupees only) as the limit in relation to employees mentioned in that sub-clause who retire, whether on superannuation or otherwise.
- 2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April, 2023.

[Notification No. 31/2023/F. No. 200/3/2023-ITA-I]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum: It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.